eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रभावः एक कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक विश्लेषण

आँचल[1] , डॉ0 विजीश रोनित साइमन[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, सेंट जॉन कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश
[2]सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सेंट जॉन कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश

Received: 15 July 2024 Accepted & Reviewed: 25 July 2024, Published : 31 July 2024

Abstract

2019 में अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता का दर्जा दिया था, भारतीय सरकार द्वारा एक अत्यधिक विवादास्पद और परिणामी निर्णय रहा है। यह शोध लेख इस कदम के भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संघ की अखंडता पर प्रभावों की जांच करता है। इस पत्र में निरस्तीकरण के पीछे के तर्क, इसमें शामिल कानूनी और संवैधानिक मुद्दे, और इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और विवादों का विश्लेषण किया गया है। यह राष्ट्रीय एकीकरण पर संभावित प्रभाव और क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर भी चर्चा करता है। लेख का निष्कर्ष यह बताता है कि कश्मीरी लोगों की स्वायत्तता और आकांक्षाओं के प्रति सम्मान के साथ केंद्रीय प्राधिकरण के दावा के संतुलन के लिए एक सूक्ष्म और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि भारत में स्थायी शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके।

कीवर्ड– अनुच्छेद 370, संप्रभुता, अखंडता, जम्मू–कश्मीर, भारतीय कूटनीति

Introduction

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण भारतीय सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके दूरगामी प्रभाव भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संघ की अखंडता पर पड़े हैं। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष स्वायत्त स्थिति दी थी, जिससे उसे अपना संविधान, एक अलग ध्वज और रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों पर स्वायत्तता प्राप्त थी।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भारतीय सरकार का मुख्य तर्क राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना था। सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दी गई विशेष प्रावधानों ने अलगाव और अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, जिसका उपयोग भारत विरोधी ताकतों ने किया और क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में जम्मू और कश्मीर द्वारा षविशेष अधिकारोंष का आनंद लेने के कारण 70,000 से अधिक जानें गई हैं, और यथास्थिति बनाए रखना क्षेत्र को शांति के करीब नहीं ला रहा था।

हालांकि, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण अत्यधिक विवादास्पद और विवादित कदम रहा है, जिसके महत्वपूर्ण कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव हैं। जिस तरह से इसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति के बिना और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधायिका की अनुपस्थिति में लागू किया गया, उसे संवैधानिक प्रक्रिया और संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन कहा गया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

यह शोध लेख अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संघ की अखंडता पर प्रभावों का विश्लेषण करने का लक्ष्य रखता है। यह निर्णय के पीछे के तर्क, इसमें शामिल कानूनी और संवैधानिक मुद्दों, और इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और विवादों की जांच करेगा। लेख राष्ट्रीय एकीकरण पर संभावित प्रभाव और क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर भी चर्चा करेगा।

भारतीय संप्रभुता के लिए प्रभाव

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अनुच्छेद 370 एक विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष स्वायत्त स्थिति प्रदान की थी। यह राज्य को अपना संविधान, एक अलग ध्वज और रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों पर स्वायत्तता रखने की अनुमति देता था।

इस प्रावधान को हटाए जाने को कई लोगों ने केंद्रीय प्राधिकरण के एकतरफा दावे और राज्य की स्वायत्तता में कमी के रूप में देखा है। इसे उस मूल समझौते का उल्लंघन माना गया है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, जो राज्य की विशेष स्थिति की रक्षा पर आधारित था। जिस तरीके से निरस्तीकरण को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से और राज्य सरकार से परामर्श किए बिना लागू किया गया, उसने केंद्रीय सरकार के एकतरफा और कठोर दृष्टिकोण की धारणा को और अधिक मजबूत किया है।

इसके अलावा, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने, स्थानीय राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और संचार बंदी जैसी साथ की गई कार्रवाइयों को राज्य की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के ह्रास के रूप में देखा गया है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि केंद्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए तैयार है।

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी डालता है, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त की है। जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर विवाद लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का स्रोत रहा है, और अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इस विवाद को और बढ़ा सकता है और भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है।

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रभाव

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण भी जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थितिश को समाप्त करके और इसे भारत के बाकी हिस्सों के साथ अधिक निकटता से जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि, इस निर्णय के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ सामने आई हैं और कुछ हद तक तनाव और अलगाव को बढ़ाया है।

कठोर दृष्टिकोण और स्थानीय जनसंख्या की भावनाओं की उपेक्षा ने जम्मू और कश्मीर के लोगों में असंतोष और नाराजगी की भावना को गहरा कर दिया है। नागरिक स्वतंत्रताओं पर जारी प्रतिबंध, राजनीतिक नेताओं की हिरासत और सार्थक परामर्श की कमी ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि केंद्र सरकार

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

कश्मीरी लोगों की वैध आकांक्षाओं और चिंताओं को संबोधित करने की तुलना में अपने नियंत्रण को स्थापित करने में अधिक रुचि रखती है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने भारत के अन्य राज्यों में भी अपनी स्वायत्तता के ह्रास और सत्ता के केंद्रीकरण के संभावित खतरों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यह डर है कि जम्मू और कश्मीर मामले में स्थापित मिसाल का उपयोग भारत की संघीय संरचना और अन्य राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है, जो संभावित रूप से बड़े राजनीतिक तनाव और राष्ट्रीय एकता के कमजोर होने का कारण बन सकता है।

चल रहे अशांति और आगे की कट्टरपंथीकरण की संभावनाएँ सरकार के राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के घोषित लक्ष्य को कमजोर कर सकती हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं पर जारी प्रतिबंध और जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के लिए स्पष्ट रोडमैप की कमी ने कश्मीरी लोगों की गहरी जड़ें जमाए गए शिकायतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने की सरकार की क्षमता पर संदेह पैदा कर दिया है।

चुनौतियाँ और विवाद

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को एक गहन और विवादास्पद कदम माना गया है, जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी, राजनीतिक, और संवैधानिक प्रभाव हैं। इसके तरीके से निरस्तीकरण किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति के बिना और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य विधानसभा के अभाव में, इसे संवैधानिक प्रक्रिया और संघीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया है।

इस निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में भी चिंताएँ उठी हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं पर जारी प्रतिबंध और जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के लिए स्पष्ट रोडमैप की कमी ने कश्मीरी लोगों की गहरी जड़ें जमाए गए शिकायतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने की सरकार की क्षमता पर संदेह जताया है। चल रही अशांति और आगे की कट्टरपंथीकरण की संभावनाएँ सरकार के घोषित लक्ष्य को राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के खिलाफ उत्कृष्ट कर सकती हैं।

इसके अलावा, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी डाला है, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त की है। जम्मू और कश्मीर के स्थिति पर विवाद लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का स्रोत रहा है, और अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इस विवाद को और बढ़ा सकता है और भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष–

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण भारतीय सरकार द्वारा एक साहसी और प्रभावी निर्णय था, जिसे राष्ट्रीय एकता और समृद्धि को मजबूत करने की इच्छा ने प्रेरित किया था। हालांकि, इस निर्णय के कार्यान्वयन में चुनौतियों से भरी हुई है और भारतीय संवर्धन और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इसके प्रभाव पर महत्वपूर्ण चिंताएं उठी हैं।

सरकार की घोषित ध्येय जम्मू और कश्मीर में अधिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने की इच्छा समझने योग्य है, लेकिन कठोर दृष्टिकोण और स्थानीय जनसंख्या की भावनाओं की अनदेखी का महसूस किया गया है, जिसने अलगाव और नाराजगी की भावना को उत्पन्न किया है। नागरिक स्वतंत्रताओं पर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

जारी प्रतिबंध और राजनीतिक और आर्थिक मार्गमाप की स्पष्टता की कमी ने सरकार की योजना में गहरी शिकायतों और कश्मीरी लोगों की गहरी आकांक्षाओं को संबोधित करने की क्षमता पर संदेह जताया है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने भारत की संघीय संरचना और अन्य राज्यों की स्वायत्तता के लिए भी व्यापक प्रभाव डाला है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के लिए। इस निर्णय द्वारा स्थापित मिसाल के परिणामस्वरूप देश के राजनीतिक और संवैधानिक दृश्य में दूर–दूर तक पहुँचने वाले प्रभाव हो सकते हैं, और महत्वपूर्ण है कि सरकार इन चिंताओं का समाधान ऐसे तरीके से करे जो लोकतंत्र, संघीयता, और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को बनाए रखे।

अंततः, सरकार के जम्मू और कश्मीर को एकीकृत करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों की सफलता उसकी केंद्रीय प्राधिकरण को स्थापित करने और कश्मीरी लोगों की स्वायत्तता और आकांक्षाओं का सम्मान करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। इसके लिए समझदारीपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जो संवाद, सुलझाव, और नागरिक स्वतंत्रताओं की संरक्षा को प्राथमिकता देगा, न कि एकतरफा और बलपूर्वक दृष्टिकोण जो संघर्षों को और भी बढ़ा सकता है और भारत की राष्ट्रीय संपत्ति और एकता को कमजोर कर सकता है।

संदर्भ–

1. सेमेंटिक शोलर. (2023). राष्ट्रीय एकता का प्रतीकरू आर्टिकल 370 का समाप्ति. प्राप्त ls: https:@@www-semanticscholar-org@paper@7f19e458f0ea5c2d4cfb271c11741f742596e65a
2. सेमेंटिक शोलर. (2021). आर्टिकल 370 की समाप्ति में संविधान और राजनीतिक जटिलताएं. प्राप्त ls:https:@@www-semanticscholar-org@paper@a5c32824cf9ca08686e258546501afceb31b7f95
3. सेमेंटिक शोलर. (सं.). तुहिन्दी आर्टिकल (आपके थे लेख). प्राप्त ls: https:@@www-semanticscholar-org@paper@633d12aeb6e3f6c468df9efd22465c383d19dfb9
4. सेमेंटिक शोलर. (2018). आर्टिकल 370 और भारत का असममित्र संघवाद. प्राप्त ls: https:@@www-semanticscholar-org@paper@3b8a2f91658c9164d07e0c6f0dfad57c2e222c82
5. सेमेंटिक शोलर. (सं.). भारतीय संविधान के साथ कश्मीर के फॉल्टलाइनरू समाप्ति और दावा। प्राप्त ls: https:@@www-semanticscholar-org@paper@a280ee7ac750574c01b164a6ea715761b4616810